

17.5.18

पञ्जाब हाई कोर्ट ऑफ़ इंडिया में प्रेषा हुद्री/पञ्जाब
 ना) ध्यानपूर्वक जांचोकाग किया गया। ग्राम पौरव की
 सरहद में स्थित ग्राम नं. 378, 2328/381, 2730/355
 2731/342 किला - 4 गुम रकबा 1.33 हे. के राजस्व
 रिकार्ड में रघुवीर पुत्र सुरजा दल है। यहाँक स्थ
 रिकार्ड के जमावा जय्य दरलावेदार में रघुवीर का
 सही नाम रोहितेश पुत्र सुरजा दल है। यही राजस्व
 रिकार्ड में जपका में रघुवीर के बजाय रोहितेश
 फुकस्त करवाका - चाहता है इमी प्रकार ग्राम पौरव के
 ग्राम नं. 3174/339 में भी यही का बल नाम रघुवीर
 पु. सुरजा दल है जिसको भी यही रोहितेश पुत्र सुरजा
 सही करवाका - चाहता है। यही का वादपम दरलावे
 के आधार पर काबिल होके के स्वीकार किया जाना
 उचित व न्यायोचित जतिल होला है।

आदेश

वादपम स्वीकार किया जाला है तथा ग्राम पौरव
 की सरहद में स्थित वर्तमान ग्राम नं. 378, 2328/381
 2730/355, 2731/342 किला - 4 गुम रकबा 1.33 हे. एवं
 3174/339 रकबा 0.2050 हे. में दल रघुवीर पुत्र सुरजा
 के बजाय रोहितेश पुत्र सुरजा फुकस्त किया जाला है
 ताइनुकार तहसील दर उदयपुरवादी राजस्व रिकार्ड
 में नाम फुकस्ती करे। उक्त नाम के जमावा शेष
 शवाका कदरतुर रहेगा। पञ्जाब हाई कोर्ट ऑफ़ इंडिया
 नम्बर के कम हो तथा प्राथम फरव रहे।

जिस का उल्लेख 11.5.18 के कोर्ट ऑफ़ इंडिया में
 किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवादी (उच्चुन)